



ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी/विशेषज्ञ ठेकेदारों/फर्मों से प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं निम्न विवरण के अनुसार आमन्त्रित की जाती है। आमन्त्रण की विस्तृत सूचना उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की वेबसाइट www.upavp.in तथा <http://etender.up.nic.in> पर देखा जा सकता है। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे, किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना उक्त वेबसाइट पर ही अपलोड की जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत(रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य+18 प्रतिशत जी०एस०टी० (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की परिषद में अर्ह पंजीकृत श्रेणी	निविदा पद्धति	सम्बन्धित खण्ड कार्यालय का नाम व पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कुशीनगर में मुख्य भवन, टाईप-III(G+2), टाईप-1, बाऊण्डीवाल का निर्माण/ जीर्णोद्धार का कार्य एवं परिसर में विकास कार्य।	641.50 लाख+(GST अतिरिक्त)	12.85 लाख	7500.00 + 18% GST	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	श्रेणी-1 st क श्रेणी-1 st	TWO BID	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड गोरखपुर-01, शाहपुर 2/3, गोरखपुर।
2	जनपद-गोरखपुर की तहसील-विकास खण्ड व नगर पंचायत-बांसगांव, राजस्व ग्राम दोनखर में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कार्य।	655.00 लाख+(GST अतिरिक्त)	13.10 लाख	7500.00 + 18% GST	18 माह (वर्षा ऋतु सहित)	श्रेणी-1 st क श्रेणी-1 st	TWO BID	

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start	21.01.2025 (4:00 PM)
Document Download End	06.02.2025 (3.00 PM)
Bid Submission Start	21.01.2025 (5.00 PM)
Bid Submission Closing	06.02.2025 (3.00 PM)
Technical Bid Opening	06.02.2025 (3.30 PM)
Financial Bid Opening	Date to be decided after evaluation of Technical Bid


नियम व शर्तें-

- निविदा प्रपत्र का उपरोक्तानुसार निर्धारित मूल्य व वांछित धरोहर धनराशि का भुगतान R.T.G.S. के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड गोरखपुर-01, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर के पक्ष में अलग-अलग कार्यों हेतु निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक सांघ 5.00 बजे तक किया जा सकता है। उपरोक्त की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

क्र०सं०	विवरण	सम्बन्धित खण्ड कार्यालय के खाते का विवरण।
1	Concerning Division Office	Office of Executive Engineer, Construction Division Gorakhpur-01, Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad, Shahpur Yojna No. 2/3, Gorakhpur.
2	A/c Holder Name	Executive Engineer U.P. Avas Evam Vikas Parishad, Gorakhpur
3	Name of Bank	Indian Overseas Bank, Vijay Chowk Gorakhpur.
4	A/c No.	04520200000007
5	IFSC Code	IOBA0000452

- प्री-क्वालिफिकेशन (टेकनिकल बिड) की शर्तों को पूरा करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

3. फर्म/ठेकेदार का जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है। जी0एस0टी0 अलग से देय होगी। कार्य की लागत में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित है। तदुसमय देय जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार कार्य की लागत पर देयता के अनुसार किया जायेगा।
 4. निविदादाता फर्म का आयकर विभाग/श्रम विभाग इत्यादि में पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। उसके सभी देयको से नियमानुसार आयकर, सेस टैक्स, रायल्टी एवं अन्य कोई कर जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की नियमानुसार कटौती की जायेगी।
 5. निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन से पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत सिक्वोरिटी भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक(केनरा बैंक को छोड़कर) एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गोरखपुर-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर के पक्ष में बन्धक बनाकर जमा करना होगा।
 6. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक के क्रम में निविदा मूल्य के परिपेक्ष्य व अन्य धनराशि जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित है, के बराबर मूल्य के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करना होगा। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रू0 10.00 के नान जुडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र देना होगा।
 7. किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथियों में अवकाश हो जाने पर निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
 8. अनुबन्ध के अन्तिम बीजक का भुगतान भवन सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरण के उपरान्त किया जायेगा।
 9. कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री प्रचलित आई0एस0 कोड की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार होगी तथा ठेकेदार/फर्म को सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की विशिष्टियों अनुसार ही कराये जायेंगे तथा उ0प्र0 शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुसार डिफैक्ट लायबिल्टी अवधि तीन वर्ष होगी। उक्त हेतु 1 प्रतिशत धनराशि अन्तिम बीजक के भुगतान की तिथि से तीन वर्ष बाद संतोषजनक कार्य पर अवमुक्त किया जायेगा।
 10. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्य की मात्रा में किसी भी सीमा तक परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 11. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
 12. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
 13. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार करनी होगी। प्रगति आकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमूलेटिव प्रगति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार की जायेगी, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
 14. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्म करा नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियम नियमवली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा एवं श्रमिक का एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रथम देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
 15. निविदादाता को प्रत्येक ई-निविदा के साथ अध्यावधिक शासनादेश के क्रम में निर्धारित वैध प्रपत्र (टी-4, टी-5, टी-6) की स्कैन की प्रति ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा।
 16. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर, कम (Below) माना जायेगा।
 17. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्वोरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि एवं स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्वोरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में देय होगी।
 18. जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म-9 के क्लाज-40 के अनुसार कार्य के कुल लागत की 1.00 प्रतिशत की धनराशि वारण्टी के रूप में तीन वर्षों तक रोकी जायेगी।
 19. जी0पी0डब्ल्यू0. फार्म-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
 20. शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 ऑडिट/08टी0सी0-2 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 की दरों से Below दर होने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध गठित करने से पूर्व अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा निविदा अमान्य होगी।
- (क) 10%तक Below दर पर 0.50%प्रति 1.00% कम (Below)दर के लिए।
- (ख) 10%से अधिक Below दर पर 1.00%प्रति 1.00%कम (Below) दर के लिए।
21. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
 22. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
 23. कार्य की अवधि में किसी भी सड़क/सार्वजनिक स्थल पर ठेकेदार द्वारा एकत्र की गयी निर्माण सामग्री के कारण उत्पन्न व्यवधान से किसी भी प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही हेतु ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
 24. निर्माण कार्य के सम्पादन कार्यस्थल के आस-पास के भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा में किसी भी प्रकार क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का शपथ-पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 25. निर्माण कार्य हेतु तकनीकी बिड के साथ निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने का माइल स्टोन/बार चार्ट ठेकेदार को संलग्न कराना होगा तथा 100.00 रू0 के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर बार चार्ट के अनुरूप एवं अनुबन्धित अवधि में कार्य पूर्ण करने का शपथ पत्र देना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।


J.C.


K.S.


R.S.


J.S.

26. निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें, तकनीकी बिड के साथ कार्यस्थल का जी0पी0एस0 लोकेशन का फोटोग्राफ्स भी अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य न होगा तथा इस प्रकार का शपथ पत्र रु0 100.00 के जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि मैं कार्यस्थल का निरीक्षण भलि-भांति कर लिया है।
27. किसी भी प्रकार की प्रपत्रों की हार्ड कापी स्वीकार न होगी। निविदादाता के डाउनलोडेड प्रपत्र अपठनीय होने पर मूल प्रति के साथ छायाप्रति वांछित होगी।
28. तकनीकी बिड व वित्तीय बिड का गहनता एवं ध्यानपूर्वक अध्ययन व अनुपालन करते हुए निविदा में प्रतिभाग किया जाये। किसी भी प्रकार की कमी रहने पर निविदा अमान्य होगी।
29. निर्माण कार्य को सम्बन्धित विभाग को हस्तान्तरित कराने का दायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा, तत्पश्चात् ही कार्य का अन्तिम भुगतान किया जाएगा।
30. कार्य में प्रयुक्त सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चेकिंग/टेस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से की जाएगी।
31. कार्य की प्राथमिकता के अनुसार उ0प्र0 शासन के समय-समय पर धन अवमुक्त होने के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। फर्म/ठेकेदार द्वारा प्राथमिकता से भिन्न किये गये कार्य का भुगतान तत्समय नहीं किया जायेगा।
32. यदि निर्माण कार्य की जांच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है, तो इसके लिए ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
33. निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो वित्तीय निविदा खुलने के तिथि के पश्चात् तक वैध हो, लगाना होगा।
34. निविदा/फर्म या वांछित कार्य के अन्तर्गत पिछले 07 वर्षों में भवन निर्माण के निम्नानुसार तीन कार्यों में से एक कार्य (क, ख, ग में से कोई एक) को पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है।
- क. निविदा की लागत का कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
- ख. निविदा की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य का दो कार्य।
- ग. निविदा की लागत का कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य का तीन कार्य।
35. शासनादेश सं0 1345/86-2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लाई गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा, जिसे प्रस्तुत न करने की दशा में नियमानुसार कटौती की जायेगी तथा आपूर्ति से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अन्य स्थानों से लायी गयी सामग्री का ISTP उपलब्ध करना होगा, अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार निर्धारित रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली की जायेगी।
36. निर्माण करते समय आवश्यकतानुसार जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा, जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
37. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। कार्यस्थल पर फर्म को कार्य तथा कार्यरत कर्मिकों हेतु सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा।
38. ई-निविदा के साथ निविदादाता को प्री-क्वालीफिकेशन की शर्तों/चेक लिस्ट के अनुसार वांछित प्रपत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
39. कार्यस्थल पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु शासन/ए0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा, जिसके अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्थाएँ फर्म को अपने व्यय पर संवय करनी होगी।
40. वर्तमान में कार्य कर रहे जिन ठेकेदारों के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है, उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
41. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
42. किसी प्रकार के सर्वर आदि के आकस्मिक रूप से विलम्बित होने के कारण बिड अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

पत्रांक एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गोरखपुर-01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर।
1. अवर अभियन्ता (तक0), गोरखपुर वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोरखपुर।
2. इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ को परिषद वेबसाईट पर प्रचारित-प्रसारित करने हेतु।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता
०८/०८/२०२०

अधीक्षण अभियन्ता
०८/०८/२०२०